बिन्दु क्रंमाक 05

नियम , विनियम ,निर्देश नियमावली और अभिलेख ,कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकार्डो की सूची जिनका उपयोग कार्यो के निर्वहन के किया जाता है।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2007

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 2007

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम, 2007.

विषय–सूची.

धाराएंः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. मध्यप्रदेश पतंजलि संस्कृत संस्थान की स्थापना तथा निगमन.
4. संस्थान के उद्देश्य.
5. संस्थान की शक्तियां और उसके कृत्य.
6. संस्थान के प्राधिकारी.
7. साधारण परिषद्.
8. साधारण परिषद के सदस्यों की पदावधि.
9. साधारण परिषद का सम्मिलन.
10. साधारण परिषद् की शक्तियां और कृत्य.

11. कार्यपरिषद्
12. कार्यपरिषद् की सदस्यता.
13. कार्यपरिषद् के सदस्यों की पदावधि.
14. कार्यपरिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
15. कार्यपरिषद् का सम्मिलन.
16. विद्यापरिषद्.
17. विद्यापरिषद् की सदस्यता.
18. विद्यापरिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.
19. विद्यापरिषद् का सम्मिलन.
20. वित्त समिति.
21. संस्थान के अधिकारी.
22. संस्थान का चेयरमेन.
23. संस्थान के कर्मचारिवृंद.
24. संस्थान को भुगतान.
25. संस्थान की निधि.
26. वे उद्देश्य जिनके लिए संस्थान की निधि का उपयोजन किया जाएगा.
27. लेखा तथा संपरीक्षा.
28. वार्षिक रिपोर्ट.
29. बजट.
30. अधिनियम और कार्यवाहियों का रिक्तयों के कारण अधिमान्य न होना.
31. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.
32. विवरणियां और जानकारी.
33. संस्थान के आदेशों और विलेखों का अधिप्रमाणीकरण.
34. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

35. विनियम बनाने की शक्ति.

36. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

37. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

38. इस अधिनियम के प्रारंभ पर होने वाले परिणाम.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2007 470 (1)

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 2007

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम, 2007

दिनांक 5 मई, 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण)'' में दिनांक 11 मई , 2007 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.

मध्यप्रदेश राज्य में संस्कृत तथा उसके साहित्य के अध्यापन क्षेत्र में अनुसंधान और व्यापक अध्ययन को अग्रसर करने के प्रयोजन हेतु और स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षा को विनियमित करने के लिए और उससे संसक्त एवं आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए एक संस्थान की स्थापना और निगमन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पजंजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम, 2007 हैं.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे,

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''चेयरमेन'' से अभिप्रेत है, धारा 22 की उपधारा (1) अधीन नियुक्त संस्थान का चेयरमेन ;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, धारा 6 खण्ड (घ) तथा (ड) के अधीन गठित समिति ;

(ग) ''निदेशक'' से अभिप्रेत है, धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक;

(घ) ''कार्य परिषद्'' से अभिप्रेत है, धारा 11 के अधीन गठित संस्थान की कार्य परिषद्;

(ड) ''निधि'' से अभिप्रेत है, धारा 25 के अधीन स्थापित संस्थान की निधि;

(च) ''साधारण परिषद्'' से अभिप्रेत है, धारा 7 के अधीन गठित संस्थान की साधारण परिषद्;

(छ) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन स्थापित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान;

(ज) ''विनियम'' से अभिप्रेत है, संस्थान द्वारा बनाए गए विनियम;

(झ) ''स्कूल'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के ऐसे स्कूल तथा प्राइवेट स्कूल, जिसमें पाठशालाएं सम्मिलित है और जिनमें संस्कृत में शिक्षा दी जाती है:

(ञ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की सरकार.

3. 1. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक सस्थान स्थापित करेगी, जो **महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान कहलाएगा.**

2. संस्थान का मुख्यालय भोपाल में होगा,

3. संस्थान पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम तथा स्थावर संपत्ति अर्जित करने और धारित करने और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गए उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति का अंतरण करने और संविदा करने एवं इसके गठन के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कृत्य करने की शक्ति होगी और वह उसके निगमित नाम से वाद चला सकेगा एवं उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा,

4. संस्थान द्वारा या उसके विरूद्ध वादों और कार्यवाहियों में अभिवचन, निदेशक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकांए निदेशक को जारी की जाऐंगी और उस पर तामील की जाएंगी.

संस्थान के उद्देश्य,

4. संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः–

(एक) संस्कृत भाषा और साहित्य में सन्निहित ज्ञान, विज्ञता और दृष्टिशक्ति का प्रसार करना;

(दो) संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन से सम्बद्ध स्कूल शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित, प्रोन्नत एवं संचालित करना;

(तीन) संस्कृत की शिक्षा की परम्परागत रीति से किए जा रहे अध्ययन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत पाठशालाओं के बीच परस्पर समन्वयन को प्रोन्नत करना और संस्कृत शिक्षा की पारंपारिक और आधुनिक पद्धतियों के बीच लय स्थापित करना;

(चार) सतत् शिक्षा, पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संस्कृत से सम्बन्धित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना;

(पांच) सामान्य संस्कृत और विशिष्ट रूप से प्राच्य संस्कृत का अध्ययन पाठ्क्रम विकसित करना;

(छह) संस्कृत पर विशेष बल देते हुए भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन और गवेषणा की सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(सात) संस्कृत और इसके साहित्य तथा संस्कृत के ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं से सम्बन्धित अध्यापन, प्रशिक्षण, और गवेषणा के क्षेत्र में उत्कृष्ठता के एक केन्द्र के रूप में विकसित करना;

(आठ) संस्कृत और इसके साहित्य और प्राच्य संस्कृत को सम्मिलित करते हुए संस्कृत में ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं के अध्ययन के लिए संस्कृत स्कूलों की स्थापना करना;

(नो) उत्तर मध्यमा (उच्चतर माध्यमिक) स्तर तक संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करना;

(दस) नवाचार सहित संस्कृत शिक्षा को प्रयोज्य प्रणाली विज्ञान का विकास करना और उसका संचालन करना; और

(ग्यारह) संस्कृत की अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना.

संस्थान की शक्तियां और उसके कृत्य,

5.(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए संस्थान, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थातः–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसी कि संस्थान ठीक समझे तथा संस्कृत और उसके साहित्य तथा ज्ञान की सहबद्ध शाखाओं से सम्बन्धित अध्ययन पाठ्यक्रमों में, जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है, अध्यापन तथा शिक्षण का उपबंध करना;

(ख) संस्कृत में शोध हेतु उपबंध करना, विशेष पाठ्यक्रम संचालित करना और संस्कृत और उसके साहित्य एवं सहबद्ध शाखाओं के ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसका प्रसार करना;

(ग) संस्थाओं, स्कूलों, विभागों अथवा विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, उनका संधारण करना और प्रबंध करना;

(घ) संस्कृत स्कूलों अथवा पाठशालाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, उसे वापस लेना अथवा उसे उपांतरित करना;

(ड.) संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम अधिकथित करना;

(च) प्रमाण – पत्र तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं और पदवी प्रदान करना;

(छ) परीक्षाएं या परीक्षण आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना जिन्होने अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रमों के अनुसार ऐसे संस्थान में अथवा ऐसे स्कूल में अध्ययन किया हो, जिसे कि संस्थान के

विशेषाधिकार दिए गए हों, तथा जिन्होंने संस्थान द्वारा विहित परीक्षाएं और परीक्षण ऐसी रीति में उत्तीर्ण किए हों, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाए ;

(ज) संस्थान द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाण पत्र को ऐसी रीति में, जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, वापस लेना अथवा निरस्त करना;

(झ) संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए सम्मेलन, गोष्ठियां, कार्यशालाएं ,पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित तथा संचालित करना;

(ञ) अभिलेखागार, पुस्ताकालय, सूचना केन्द्र डाटा बैंक, संग्रहालय, तथा ऐसी अन्य संस्थाएं जो कि संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने में उपयोगी हों संधारित करना;

(ट) संस्कृत में किए गए मूल्यवान कार्यो को पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन पाण्डुलिपियों को एकत्रित करना, उनका संरक्षण करना, उनका संपादन करना, तथा उन्हे प्रकाशित करना;

(ठ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति, संगम या निगमित निकाय से संदान, अनुदान, दान स्वीकार करना अथवा धन उधार लेनाः

परंतु धन उधार लेने की शक्ति का प्रयोग मध्यप्रदेश सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा ;

(ड) संस्कृत के प्रोन्नयन के लिए विन्यास संस्थित करना, धारित करना और उसका प्रबंध करना;

(ढ़) संस्कृत के उन्नयन और प्रसार के लिए पुरूस्कार (अवार्ड), अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, पारितोषिक (प्राईज), पदक (मैडल) संस्थित करना ;

(ण) ऐसे प्रयोजनों के लिए संस्थाओं या व्यक्तियों को जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढाने के लिए सहायक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देना;

(त) सम्बद्ध स्कूलों का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानक बनाए रखे जाते हैं तथा उनमें पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध की जाती है;

(थ) सम्बद्ध स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली फीस विनियमित करना;

(द) अन्य संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, प्राधिकरणों या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट निकायों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जैसा कि संस्थान अवधारित करें;

(ध) संस्थान के आंतरिक वित्तीय संसाधनों को विकसित करना;

(न) संस्कृत, शिक्षा से सम्बन्धित विषयों के बारे में राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(प) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों को सृजित करना तथा संस्थान के लिए उनमें नियुक्ति करना;

(फ) बच्चों के लिए संस्कृत में साहित्य, गीत और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढावा देना;

(ब) संस्थान द्वारा स्थापित, संधारित, प्रबंधित या सम्बद्ध स्कूलों और संस्थाओं में विहित किए गए अध्ययन पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश करना तथा पाठ्य विवरण का प्रकाशन करना;

(भ) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा प्राप्त करना, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(म) संस्थान द्वारा स्थापित, संधारित प्रबंधित या सम्बद्ध स्कूलों तथा संस्थाओं में विद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक कल्याण के अभिवर्धन के उपाय अंगीकृत करना और उनके छात्रावासों के लिए शर्ते विहित करना;

(य) संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रलाभ के लिए ऐसी रीति में, और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, पेंशन, बीमा भविष्य निधि और उपदान गठित करना, और ऐसे अनुदान देना, जैसा कि संस्थान उचित समझे;

(कक) स्कूलों में संस्कृत की शिक्षा का प्रचार करने की दृष्टि से शिक्षण पाठ्यक्रम और प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य विवरण के बारे में राज्य सरकार को अनुशंसा करना; और

(कख) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों या जो उनके आनुषांगिक या सहायक हों,

संस्थान के प्राधिकार

6. संस्थान में निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः–

(क) साधारण परिषद्ः

(ख) कार्य–परिषद्ः

(ग) विद्या–परिषद्ः

(घ) वित्त समितिः और

(ड) ऐसी अन्य समितियाँ या निकाय जिन्हें कि विनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी होना घोषित किया जाए,

साधारण परिषद्

7. (1) संस्थान की एक साधारण परिषद् होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

पदेन सदस्य

(एक) मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेशः

(दो) भारसाधक मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासनः

(तीन) भारसाधक मंत्री, वित्त विभाग, मध्यप्रदेशः

(चार) भारसाधक मंत्री, आदिमजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासनः

(पांच) भारसाधक मंत्री, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासनः

(छह) संस्थान का चेयरमेन;

(सात) चेयरमेन, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डलः

(आठ) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासनः

(नौ) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासनः

(दस) प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासनः

(ग्यारह) प्रमुख सचिव/सचिव, आदिम जाति कल्याण, विभाग, म.प्र. शासनः

(बारह) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासनः

(तेरह) आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेशः

(चौदह) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्रः

(पन्द्रह) संस्थान का निदेशकः

नामनिर्दिष्ट सदस्य

(सोलह) मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों से संस्कृत के तीन आचार्यः

(सत्रह) संस्थान से सम्बद्ध स्कूलों के तीन प्राचार्य या प्रधानाध्यापक, जो संस्कृत में चर्चा या वाद–विवाद में भाग ले सकते हों;

(अठारह) छह सामाजिक कार्यकर्ता जो संस्कृत में विद्वान हो तथा जो संस्कृत के ज्ञान के प्रचार में संलग्न हों और जो संस्कृत में चर्चा या वाद–विवाद में भाग ले सकते होंः

2. मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री साधारण परिषद् का प्रेसीडेंट तथा स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक मंत्री, साधरण परिषद् का वाईस प्रेसीडेंट होगा,

3. संस्थान का निदेशक, साधारण परिषद् का सचिव होगा,

4. खण्ड (सोलह) से खण्ड (अठारह) के अधीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कियए जाएंगे,

8. (1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए साधारण परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी;

(2) जहॉ साधारण परिषद् को कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्दिष्ट सदस्य हैं, वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, तब कि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या यथास्थिति उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या उसे रद्द कर दिया जाए;

(3) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दिशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतिचित या दिवालिया हो जाता हैं या वह किसी ऐसे दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता हो, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो या यदि कोई सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में चेयरमेन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या वह संस्थान के हितों के विरूद्ध कार्य करता है;

(4) साधारण परिषद् में कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य संस्थान के चेयरमेन को संबांधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, जैसे ही वह चेयरमेन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता हैं, प्रभावी हो जायेगा;

(5) साधारण परिषद् में कोई रिक्ति, उसे भरने के लिए हकदार सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति केवल उस

समय तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके कि स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती, तो पद धारण करता,

9. **(1) साधारण परिषद् का वर्ष में कम से कम एक सम्मिलन होगा और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी,**

(2) प्रेसीडेंट सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में वाईस प्रेसीडेंट सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और प्रेसीडेंट तथा वाईस प्रेसीडेंट दोनों की अनुपस्थिति की दशा में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे,

(3) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी,

(4) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर–बराबर हों तो प्रेसीडेंट या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा,

(5) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाना आवश्यक हो जाए तो प्रेसीडेंट, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज–पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने लिए प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्यवाही साधरण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त सूचित की जाएगी

और कागज–पत्र साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसके समक्ष पृष्टि के लिए रखे जाएंगे.

(6) पिछले वर्ष के दौरान संस्थान के कामकाज की एक रिपोर्ट ओर उसके साथ प्रप्तियों तथा व्ययों का विवरण, सम्यक् रूप से संपरीक्षित तुलनपत्र ओर वित्तीय प्राक्कलन, निदेशक द्वारा साधारण परिषद् के समक्ष उसके वार्षिक सम्मिलन में रखे जाएंगे,

साधारण परिषद् की शक्तियां और कृत्य,

10 **(1) इस अधिनियम के उपबंधों और संस्थान के विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, साधारण परिषद् निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी निकाय होगी जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगी:**

(2) उपरोक्त उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण परिषद् संस्थान के कामकाज और क्रियाकलापों को चलाने और उनका प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी,–

(क) संस्थान के कार्यकलापों और कामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन;

(ख) संस्थान की व्यापक नीतियां तथा कार्यक्रम बनाना तथा उनका पुनर्विलोकन करना और संस्थान के सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ग) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना;

(घ) संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों में एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना;

(ड) ऐस विनिमय बनाना जैसा साधरण परिषद् समय–समय पर संस्थान के क्रियाकलापों को विनिमयमित करने और उसके प्रबंधन हेतु आवश्यक समझे और उन्हें परिवर्तित, उपांतरित और विखण्डित करनाः

(च) संस्थान के समस्त प्राधिकारियों, अधिकारियों और निकायों को मानीटर करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उन्हे नियंत्रित करनाः

(छ) अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को संस्थान के चेयरमेन, निदेशक या किसी प्राधिकारी या समिति या किसी उपसमिति या अपने किसी एक या अधिक सदस्यों को अथवा किसी कर्मचारी को प्रत्यायोजित करनाः और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो वह संस्थान के दक्षतापूर्ण कार्यकरण और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे,

कार्यपरिषद्

11. (1) कार्यपरिषद् संस्थान की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी.

(2) संस्थान का प्रशासन, प्रबन्धन तथा नियन्त्रण और उसकी आय कार्यपरिषद् में निहित होगी जो संस्थान की सम्पत्ति तथा निधियों को नियन्त्रित और प्रशासित करेगी,

कार्यपरिषद् की सदस्यता,

12 (1) कार्यपरिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थातः–

(एक) संस्थान का चेयरमेन;

(दो) निदेशक;

(तीन) साधारण परिषद् के दो सदस्य जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट जाएंगे;

(चार) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(पांच) मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती, जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(छह) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती, जो उप सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(सात) आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;

(आठ) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र;

(नौ) संस्थान के अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठतानुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किये गये संस्थान के दो पूर्णकालिक शिक्षक;

(दस) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश;

(ग्यारह) सम्बद्ध स्कूलों के दो प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक जो नामनिर्देशित किए जाएं.

2. संस्थान का चेयरमेन, कार्यपरिषद् का चेयरमेन तथा निदेशक कार्यपरिषद् का सचिव होगा.

13. **(1) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए;**

(2) किसी पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद तयाग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह किसी ऐसे दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो अथवा यदि वह कार्यपरिषद् के चेयरमेन की अनुमति के बिना कार्य परिषद् के तीन लगातार सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है या वह संस्थान के हितों के विरूद्ध कार्य करता है या निदेशक से भिन्न कोई सदस्य अथवा किसी संकाय का कोई संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है;

(3) जब तक कि कार्यपरिषद् की उनकी सदस्यता उपधारा 1 या 2 में उपबंधित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती है, पदेन सदस्यों से भिन्न कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से जिसको कि वे कार्यपरिषद् के सदस्य हो जाते है, पांच वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे;

(4) किसी पदेन सदस्य से भिन्न कार्यपरिषद् का कोई सदस्य, कार्य परिषद् के चेयरमेन को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र जैसे ही कार्यपरिषद् के चेयरमेन द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा;

(5) कार्यपरिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति या तो नियुक्ति द्वारा या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और

रिक्ति की कालावधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्तियां नाम निर्देशन प्रभावी नहीं रह जाएगा;

14. धारा 5 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगेः—

(एक) विद्यापरिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् संस्थान में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताए, भरती के तरीके, परिलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करनाः परंतु पदों का सृजन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा;

(दो) प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं, भरती के तरीके तथा उनकी परिलब्धियां अवधारित करना;

(तीन) इस प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा गठित की गई चयन समितियों की सिफारिश पर, समय—समय पर, अध्यापन तथा लिपिकीय कर्मचारिवृन्द जो आवश्यक हों, की नियुक्ति करना;

(चार) संस्थान के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज और अन्य समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध करना और उन्हें विनियमित करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नुियक्त करना, जैसा कि वह उचित समझें;

(पांच) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण करना या उसका अन्तरण प्रतिगृहीत करना;

(छह) संस्थान की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना;

(सात) संस्थान का कार्य क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, साधित्र, उपस्कर और अन्य आस्तियों की व्यवस्था करना;

(आठ) संस्थान के अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों की अपीलों तथा अभ्यावेदनों को विनियमों के अनुसार विनिश्चत करना;

(नौ) विद्यापरिषद् की सिफारिशों पर परीक्षकों तथा अनुसीमकों (माडरेटरों) की फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करनाः

(दस) संस्थान के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और उस मुद्रा की अभिरक्षा की व्यवस्था करनाः

(ग्यारह) वजट प्रस्तावों तथा पुर्विनियोजन के लिये प्रस्तावों और लेखाओं एवं संपरीक्षा रिपोर्टो पर विचार करना तथा उसे ऐसी सिफारिशों के साथ जैसी कि वह ठीक समझे, साधारण परिषद् को प्रस्तुत करनाः

(बारह) विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विद्यापरिषद् की फिसारिश पर स्कूलों को संस्थान के विशेषाधिकार देना और उनमें से किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेनाः

(तेरह) सम्बद्ध स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा निदेश देना और उनकी दक्षता बनाए रखने तथा शिक्षा की उचित दशा सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी करना और ऐसे निदेशों की अवहेलना की दशा में विद्यापरीषद की सिुफारिशों पर सम्बद्धता की शर्तो को उपांतरित

करना या ऐसे अन्य कदम उठाना, जो इस निमित आवश्यक और उचित समझे जाएं:

(चौदह) संबंद्ध स्कूलों से रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी मंगवानाः

(पन्द्रह) किसी संबंध स्कूल के कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को संस्थान के अध्यापक के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता वापस लेनाः

(सोलह) विभिन्न कर्तवयों तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थायी समितियां तथा उप समितियां गठित करनाः

(सत्रह) निदेशक द्वारा तैयार किए गए वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना और साधारण परिषद् को उसे ऐसे उपांतरणों के साथ प्रस्तुत करना, जैसी कि वह उचित समझें:

(अठारह) इस निमित बनाए गए विनियमों के अनुसार व्ययों के प्रस्तावों को अनुमोदित करनाः

(उन्नीस) वित्त समिति या विद्यापरिषद् द्वारा की गई अनुशंसाओं पर विचार करना और उस पर समुचित विनिश्चय करनाः

(बीस) विनियम तैयार करना और उन्हें साधारण परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करनाः और

(इक्कीस) ऐसी अन्य शक्तियां का प्रयोग तथ ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जाएं या उस अधिरोपित की जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित हों,

15 (1) कार्यपरिषद् का सम्मिलन तीन मास में कम से कम एक बार होगा,

(2) संस्थान का चेयरमेन कार्यपरिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे,

(3) कार्यपरिषद् के किसी सम्मिलन में एसके छह सदस्यों से गणपूर्ति होगी,

(4) कार्यपरिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्यपरिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर–बराबर मत हों तो यथास्थिति कार्यपरिषद् के चेयरमेन या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को उसके अतिरिक्त एक निर्णयक मत देने का अधिकार होगा,

(5) चेयरमेन, कार्यपरिषद् के सम्मिलन में किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा, किन्तु ऐसे विशेषज्ञ को मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा,

16 **(1) विद्यापरिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–**

(एक) संस्थान का चेयरमेन जो उसका चेयरमेन होगा,

(दो) विख्यात शिक्षाविदों या मैन आफ लेटर्स, या विद्वान प्रोफेशनल्स या विख्यात आम व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो संस्थान करी सेवा में नहीं हैं, कार्यपरिषद् के परामर्श से चेयरमेन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,

(तीन) निदेशक, जो विद्यापरिषद् का सचिव होगा,

(चार) सहबद्ध स्कूलों के तीन प्राचार्य या प्रधान अध्यापक जो चेयरमेन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,

(पांच) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालयों के संस्कृत के तीन आचार्य जो कार्यपरिषद् के परामर्श से चेयरमेन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,

(छह) संस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष,

(सात) संस्थान के अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जो चेयरमेन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, और

(आठ) सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

(2) अशासकीय सदस्यों से भिन्न सदस्यां की अवधि तीन वर्ष होगी,

18 इस अधिनियम या विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् को उसमें विनिहित की गई समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थातः—

(एक) ऐसे किसी विषय पर, जो साधरण परिषद् या कार्यपरिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किया जाए रिपोर्ट करना,

(दो) संस्थान में अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों तक कर्तव्यों के संबंद्ध में कार्य परिषद् को सिफारिश करना,

(तीन) संकायों के गठन के लिए स्कीमों के विनिर्मिति, उपान्तरण या पुरनीक्षण और किसी संकाय को समाप्त या उपविभाजित करने या संकायों का विलियन करने की समीचीनता पर कार्यपरिषद् को रिपोर्ट करना,

(चार) संस्थान में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के लिए विनियमों को कार्यपरिषद् को सिफारिश करना,

(पांच) संस्थान के भीतर तथा बाहर गवेषण को प्रौन्नत करने संबंधी विषयों पर कार्यपरिषद् को सिफारिश करना,

(छह) संकायों द्वारा प्रस्तुत किए गए अध्यापन तथा गवेषणा से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना तथा कार्यपरिषद् को समुचित सिफारिश करना,

(सात) अन्य बोर्डो, संस्थानों के प्रमाण पत्रों की मान्यता पर कार्यपरिषद् को सलाह देना तथा संस्थान के प्रमाण पत्रों के संबंध मे उनकी समतुल्यता अवधारित करना,

(आठ) अध्येतावृत्ति तथा अन्य विशिष्टताओं के संस्थापन पर कार्यपरिषद् को सिफारिश करना,

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो उनके हटाए जाने और उनकी फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और व्यय नियत करने के संबंध में कार्यपरिषद् को सिफारिश करना,

(दस) पुरस्कार (आबार्ड), वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक (मेडल) तथा पुरूस्कार (प्राईज) पर कार्यपरिषद् को सिफारिश करना,

(ग्यारह) पाठ्यपुस्तकों तथा विहित किए गए अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य–विवरण की कार्यपरिषद् को सिफारिश करना, और

(बारह)विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं,

19 (1) विद्यापरिषद्, उतनी बार, जितनी कि आवश्यक है, सम्मिलन करेगी किन्तु किसी भी एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार सम्मिलन करेगी,

(2) विद्यापरिषद् का चेयरमेन, विद्यापरिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे,

(3) विद्यापरिषद् के सम्मिलन के लिए विद्यापरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी,

(4) विद्यापरिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि विद्यापरिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर–बराबर मत हैं तो विद्यापरिषद् के चेयरमेन को या, यथास्थिति, सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को उसके अतिरिक्त एक निर्णयक मत देने का अधिकार होगा,

(5) यदि विद्यापरिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाही की जाना आवश्यक हो जाता है तो चेयरमेन विद्यापरिषद् के सदस्यों में कागजपत्रों के परिचालन द्वारा कामगाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा। और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इस पर विद्यापरिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्रवाही की संसूचना विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों के तुरंत दी जाएगी और संबंधित कागज–पत्र विद्यापरिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पृष्टि के लिए रखे जाएंगे,

20 (1) एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(एक) संस्थान का चेरमेन,

(दो) निदेशक,

(तीन) दो सदस्य जो कार्यपरिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्टि किए जाएंगे और

(चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग, और स्कूल शिक्षा विभाग के एक–एक अधिकारी जो उप सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी के न हों जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्टि किए जाएंगें,

(2) संस्थान संस्थान का निदेशक, वित्त समिति का सचिव होगा,

(3) उपधारा (1) के खण्ड (तीन) में उल्लेखित वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की कालवधि के लिये पद धारण करेंगे,

(4) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

(एक) संस्थान का वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संपरीक्षा करना और उसे कार्यपरिषद् को प्रस्तुत करना तथा वित्तीय मामलों में कार्यपरिषद को सिफारिश करनाः

(दो) नवीन व्ययों के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और संस्थान कार्यपरिषद् को सिफारिश करना,

(तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और संस्थान की वित्तीय स्थिति का समय–समय पर, पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टे पर विचार करना और कार्यपरिषद् को सिफारिश करना,

(चार) संस्थान पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्यपरिषद् या संस्थान के चेयरमेन द्वारा निर्देश किया जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्यपरिषद् को सिफारिश करना

(5) वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी और वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी,

(6) संस्थान का चेयरमेन, वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता की अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित करेंगे,

संस्थान के अधिकारी

21 संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(एक) संस्थान का चेयरमेन,

(दो) निदेशक, और

(तीन) ऐसे अधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं,

संस्थान का चेयरमेन,

22. (1) एक ख्याति प्राप्त संस्कृत विद्वान को इस निमित्त बनाये गए विनियमों के अनुसार साधारण परिषद् के प्रेसीडेन्ट द्वारा संस्थान के चेयरमेन के रूप में नियुक्त किया जाएगा,

(2) चेयरमेन उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा जिस तारीख को वह पद धारण करता है या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु, पूरी नहीं कर लेता है इनमें से जो भी पूर्वतर हो और पैंसठ वर्ष की

आयु, उच्चतर आयु सीमा के अध्यधीन रहते हुए पश्चात्वर्ती, अवधि के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा,

(3) चेयरमेन की सेवा शर्ते तथा कृत्य इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे,

(4) चेयरमेन, संस्थान का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और चेयरमेंन का यह कर्तव्य होगा, कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन हो रहा है,

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होतु हुए भी, संस्थान के कारबार से उद्भूत होने वाली किसी आपात स्थिति में जिस पर चेयरमेन की राय में शीघ्र कार्रवाही की जाना अपेक्षित है, तो वह ऐसी कार्रवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् कार्यपरिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में उसकी कार्रवाहीर के पृष्टिकरण के लिए रिपोर्ट करेगा,

परंतु चेयरमेन द्वारा की गई कार्रवाही से संस्थान तीन मास से अधिक की अवधि के लिए कोई आवर्ती व्यय करने के लिये प्रतिबद्ध नहीं होगा,

परंतु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार विनियमों में सेशोधन या नियुक्तियों से संबंधित किसी विषय पर नहीं होगा,

(6) यदि चेयरमेंन की राय में संस्थान के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी कार्यवाही के संस्थान के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, तो वह उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और मामला साधारण परिषद् को निर्दिष्ट करेगा और संबंधित प्राधिकारी संबंधित

प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को इस प्रकार सूचित करेगा जहां पर संबंधित के विनिश्चय को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि साधारण परिषद् द्वारा मामले का विनिश्चय न कर दिया जाए,

(7) यदि किसी समय किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जांच कर लेने के पश्चात् जैसी कि आवश्यक समझी जाए, साधारण परिषद् के प्रेसीडेन्ट को यह प्रतीत होता है कि संस्थान का चेयरमेन–

(क) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहा है, या

(ख) संस्थान के उद्देश्यों या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में उसने कार्य किया है, या

(ग) संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन करने में असमर्थ है, तो प्रेसीडेंट इस तथ्य के होते हए भी कि चेयरमेन की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, लिखित में एक आदेश द्वारा, उसमें कारणों को अभिकथित करते हुए उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए अपना पद त्याग दे,

परंतु इस उपधारा के अधीन पारित किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से चेयरमेन के बारे मे यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है और पद रिक्त हो जाएगा,

(8) उपधारा (7) के अधीन पारित किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीा से चेयरमेन के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है और पद रिक्त हो जाएगा,

23 (1) संस्थान, ऐसे विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि इस निमित संस्थान द्वारा बनाए जाएं, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निदेशक नियुक्त करेगा, जो संस्कृत में स्नातक उपाधि या ऐसी समतुल्य अर्हता धारित करता हो, जैसी कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा संस्कृत में चर्चा या विचार–विमर्श (डेबेड) में भाग लेने में समर्थ हो,

(2) निदेशक, संस्थान तथा उसके साथ–साथ साधारण परिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा,

(3) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं या जैसे कि साधरण परिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या वित्त समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं,

(4) ऐसे विनियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि संस्थान द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, संस्थान, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों और कर्मचारियों की इतनी संख्या में नियुक्ति कर सकेगा जितने कि इसकी शक्तियों का प्रयोग करने लिए आवश्यक हों और उनके पदाभिधान, ग्रेड तथा अर्हता अवधारित कर सकेगा तथा संस्थान के समस्त कर्मचारिवृन्द ऐसी आवश्यक अर्हता विशिष्टता संस्कृत में धारण करेंगे जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाए और संस्कृत में चर्चा या विचार–विमर्श (डिबेट) में भाग लेने में समर्थ होंगे,

(5) संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी एसे वेतन तथा भत्तों के हकदार होंगे तथा अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में ऐसी सेवा शर्तों से शासित हांगे जैसी कि इस निमित्त विनियमों द्वारा विहित की जाय,

(24) राज्य सरकार, समय–समय पर, संस्थान को ऐसी धनराशि देगी, जैसी कि वह उचित समझे,

(25) (1) संस्थान एक निधि स्थापित करेगा तथा संधारित करेगा जो संस्थान की निधि कहलाएगी,

(2) संस्थान की निधि में निम्नलिखत भाग सम्मिलित होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे :–

(क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन,

(ख) केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान,

(ग) संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त फीस तथा अन्य प्राप्तियां,

(घ) दान, संदान, न्यास, विन्यास (इनडाउमेण्ट्स) या अंतरण तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो, के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त धन,

(ड) किसी अन्य रीति में या अन्य सेवा के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त धन, **वे उद्देश्य जिनके लिए संस्थान की निधि का उपयोजन किया जाएगा,**

26 संस्थान की निधि का निम्नलिखित उद्देश्य के लिए उपयोजन किया जाएगा, अर्थातः–

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा उपगत ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए,

(ख) किसी वाद या विधिक कार्यवाहियों के खर्चो के लिए जिनमें संस्थान एक पक्षकार हैं,

(ग) संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान करने के लिएः

(घ) इस अधिनियम ओर उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उबंधों के क्रियान्वयन में संस्थान द्वारा उपगत किन्ही व्ययों के भुगतान करने के लि

(ड) संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास, गवेषणा और प्रशिक्षण पर उपगत किन्हीं अन्य व्ययों के लिए,

लेखा तथा संपरीक्षा, –

27 (1) संस्थान के लेखे ऐसी तारीख के पूर्व और ऐसे अंतराल पर तथा ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए,

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक द्वारा की जाएगी ओर संपरीक्षक की संपरीक्षा फीस संस्थान द्वारा, समय–समय पर नियतकी जाएगी,

(3) जैसे ही संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाती है, वैसे ही संस्थान संपरीक्षित लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट और तुलन–पत्र के साथ राज्य सरकार को ऐसी रीति में भेजेगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए,

वार्षिक रिपोर्ट –

28 (1) निदेशक, प्रत्येक वर्ष के लिए संस्थान की गतिविधियों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे कार्यपरिषद् के माध्यम से साधारण परिषद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा,

(2) साधारण परिषद् द्वारा यथा–अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी और वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा उनकी प्राप्ति पर यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी,

बजट –

29 (1) संस्थान का निदेशक, प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शित करते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में ऐसी रीति में बजट तैयार करवाएगा जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए और उसे वित्त समिति तथा कार्यपरिषद् के माध्यम से साधारण परिषद् को प्रस्तुत करेगा,

(2) साधारण परिषद् ऐसी रकम को जैसे कि आवश्यक हो, एक शीर्ष में और ऐसे शीर्ष या लघु शीर्ष के भीतर, पुनर्विनियोजित करने में सक्षम होगी,

(3) साधारण परिषद्, जब कभी आवश्यक हो एक अनुपूरक बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख तक पारित कर सकेगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए,

30. इस अधिनियम के अधीन संस्थान, साधारण परिषद्, कार्यपरिषद् या किसी समिति या उप समिति द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस कारण के आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि संस्थान या साधारण परिषद् या कार्यपरिषद् या उसके किन्ही प्राधिकरणों समिति या उप समिति में कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रटि है,

31 (1) संस्थान ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा जैसा कि इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएं,

(2) राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कि वह निदेश दे, संस्थान का, उसके भवनों, प्रयोग शालाओं, संग्राहालयों, कार्यशालाओं तथा उपकरणों एवं संस्थान द्वारा संधारित किसी संस्था का अथवा ऐसी संस्था का, जिसे उसके विशेषाधिकार दिए गए हों तथा संस्थान द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं, अध्ययन और अन्य कार्यो का निरीक्षण तथा मुल्यांकन करवा सेकेगी तथा संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले की जांच उसी रीति में करवा सकेगी,

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्टि कोई व्यक्ति, ऐसे निरीक्षण, मूल्यांकन या जांच के परिणाम की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और तदुपरि राज्य सरकार, ऐसे निदेशों का, जेसा कि वह ठीक समझें, संस्थान को संसूचित करेगी,

32 संस्थान राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसा कि वह समय–समय पर अपेक्षित करें,

33 संस्थान के समस्त आदेश ओर विनिश्चय तथा अन्य विलेख निदेशक या इस निमित संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित किए जाएंगे,

34 इस अधिनियम ओर उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसीबात के लिए कोई वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थान प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी और न ही उनके विरूद्ध नुकसान के लिए कोई दावा किया जाएगा,

35 (1) संस्थान, साधरण परिषद के अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत ऐसे विनियम बना सकेगी ओर पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों

में निम्नलिखित में निम्नलिखत समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थातः–

(क) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले संस्थान के चेयमरमेन के चयन की प्रक्रिया,

(ख) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन चेयरमेन और धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक की अवधि और सेवा शर्ते,

(ग) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन लेखा तैयार करना,

(घ) वह रीति जिसमें धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन संपरीक्षित लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट भेजी जाएगी,

(ड) धारा 29 के अधीन बजट और अनुपूरक बजट तैयार करना,

(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, पदक ओर पुरूस्कार आदि प्रदान करने की शर्ते,

(छ) क्रमशः धारा 22 की उपधारा (3) तथा धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन चेयरमेन तथा निदेशक की शक्तियां और कृत्यः

(ज) अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरणों या समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य,

(झ) संस्थान द्वारा संचालित परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले या व्यवधान उत्पन्न करने वाले अभ्यिार्थियों पर शास्ति का अधिरोपण,

(ञ) प्रमाण पत्रों को प्रदान करना,

(ट) संस्थान के विशेषाधिकार में प्रवेश देने के प्रयोजन के लिए स्कूलों की मान्यता की शर्तें, शिक्षकों की अर्हताएं और सेवा शर्तें तथा शिक्षा के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए स्कूल संहिता बनाना,

(ठ) समस्त प्रमाण–पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम अधिकथित करना,

(ढ) संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए फीस,

(ण) परीक्षाओं को संचालित करना,

(त) परीक्षकों की नियुक्ति और संस्थान की परीक्षाओं के संबंध में उनके कर्तव्य और शक्तियां,

(थ) संस्थान के विशेषाधिकार में संस्था को प्रवेश देना और उसको वापस लेना,

(द) संस्थान के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें,

(ध) संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि का गठन,

(न) संस्थान के वित्त के संबंध समस्त नियंत्रण, प्रशासन सुरिक्षित अभिरक्षा तथा प्रबंध,

(प) समस्त विषय जो इस अधिनियम द्वारा या विनियमों द्वारा उपबंधित हों या उपाबंधित किए जाएं,

(2) साधारण परिषद्, कार्य से अनुमोदिन के लिए विनियम प्राप्त करने पर ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए उन्हें अनुमोदित कर सकेगी जैसा कि

वह उचित समझे या पुनिर्वचारण के लिए उन्हें कार्य परिषद् को वापस कर सकेगी,

(3) बनाए गए समस्त विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा,

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को रद्द कर सकेगी या उसे उपांतरित कर सकेगी, परन्तु ऐस रद्दकरण या उपांतरण के पूर्व संस्थान को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा,

26 इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभवी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कठिनाईयों को दूर कर सकेगीः

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा,

37 इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे,

38 इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे, अर्थातः—

(एक) उत्तर मध्यमा स्तर (हायर सेकेण्ड्री स्तर) तक संस्कृत शिक्षा दे रहे और वर्तमान में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड या राज्य के किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध मध्यप्रदेश के समस्त संस्कृत स्कूल या पाठशाला संस्थान से सम्बद्ध रहेंगे,

(दो) मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड संस्थान में विलीन हो जाएगा,

(तीन) जीवाजी वैधशाला, उज्जैन और राज्य योग प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल का प्रशासन संस्थान में निहित हो जाएगा,

(चार) खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट स्थापनाओं की समस्त अस्तियां और दायित्व संस्थान में निहित हो जाएंगी,

(पांच) खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट स्थापना के समस्त कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी समझे जाएंगे,

परंतु ऐसे कर्मचारियों के निबन्धन तथा सेवा की शर्ते ऐसी रीति में उपांतरित नहीं की जाएगी जो उनके लिए कम अनुकूल हो,

परंतु यह और कि खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट स्थापना में पदस्थ शासकीय कर्मचारी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर तब तक पदसि समझे जाएगे जब तक कि उनकी सेवाओं का उनकी सहमति से संविलियन नहीं हो जाता है या उन्हें पैतृक विभाग में वापस नहीं कर दिया जाता हैं,